

पञ्जाबी गण को शामिल करने के लिए (इसके लिए)  
सामिल नोटिफ तलकाका पेश की जाते  
सामिल पञ्जाबी दिनांक 15/9/21 को पेश की

(12)

13 2024

पञ्जाबी गण हुई। पञ्जाबी सरकार  
उपस्थित। गत आदेशानुसार पञ्जाबी  
दिनांक 30/11/2024 को पेश की।

पञ्जाबी गण  
समिति  
आयुक्त

30 11 2024

पञ्जाबी आब पशासन गाँवों के सज  
अभियान कैंप पाठन में पेश हुई।  
तहसीलदार नीलकाण्ठा व अर्जा सं-2  
ओमपदाश स्वयं उपस्थित। अर्जा सं-1  
के पुत्र सुतिल कुमार व शिव अगुवाल उप  
तहसीलदार नीलकाण्ठा व उपस्थित अर्जा सं-1  
को सुना गया एवं पञ्जाबी का अवलोकन  
किया गया। यह अर्जा पत्र तहसीलदार  
नीलकाण्ठा द्वारा कैंपियत भूमिदारी  
पेश हुआ है कि अर्जागण को पूर्व  
में पडा सनद जारी हुआ था परन्तु  
तत् समय इसका नाक दर्ज काले  
समय राज्य कार्रवाई में सहन से  
गैर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि  
इसको पडा सनद जारी होने के कारण  
खातेदार ही दर्ज करना चाहिए था।  
अतः पञ्जाबी गण को किसी प्रकार  
की हानि व क्षति नहीं है तथा अर्जागण  
भी गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज

-अभियान-

(नृपेश कुमार)  
उपस्थित अधिकारी



पुस्तक संख्या

पृष्ठ संख्या

पुस्तक या कार्यवाही का शीर्षक

नंबर व तारीख जहाँ तक  
जो इस पुस्तक की  
तारीख में जारी हुए

(2)

आते हैं। अतः जहाँ तक (अधिकारी)  
के द्वारा उपरोक्त प्राप्ति पत्र को उमस्ती  
प्रमाण मानकर प्राप्ति पत्र स्वीकार  
किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार  
पर प्राप्ति पत्र स्वीकार किया जाना निर्णित  
किया जाता है तथा राज्य ग्राम पंच  
के खाता से 354 ख० न० 993/1524  
में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर (बतेदार)  
दर्ज कर राज्य रिकार्ड में उमस्ती किये  
जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार  
राज्य रिकार्ड में उमस्ती हेतु आदेश  
पुष्ट हो जा रही है। पगावती फैसल  
शुद्ध होकर नक्का से फल होकर दफ्तर  
दाखल है। निर्णय प्रशासन गाँवों के  
संग अधिग्रहण कैंप पाटन में भाज में  
आम में सुनाया गया।

(12)

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नौमकवाना (सीकर)